GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralaya)
(RAILWAY BOARD)

No.2017/TG-V/23/1 **New Delhi, dated 04.07.2017**

Chief Commercial Managers, All Zonal Railways	Managing Director, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.

Sub: Realisation of Good and Services Tax (GST) on Excess Fare Tickets(EFTs).

Please refer to letter of even number dated 30.06.2017(Commercial Circular No.46 of 2017) wherein instructions were issued regarding realisation of Goods and Service Tax (GST) on Excess Fare Tickets (EFTs). Clarifications were being sought by zonal Railways regarding the details to be captured by onboard ticket checking staff in case of issuing of EFT. The matter has been examined in consultation with Accounts Directorate and it is advised as under:-

A. In case of issuing of EFT, in addition to the details already being captured on existing EFT, for G2C customers, the ticket checking staff will have to record
   i. GSTIN of the State of "From" station indicated on the EFT;
   ii. Name of the passenger;
   iii. Amount of GST collected i.e. @ 5%.

B. In the case of a passenger requests his GSTIN number to be indicated in the EFT – only in such case GSTIN number of the passenger along with his name & address has to be indicated..

2. For capturing all manual transactions, CRIS has developed a utility in which all relevant information needs to be filled properly to enable capturing of CGST/SGST/UTGST/IGST as the case may be.

3. Necessary instructions may be issued to all concerned accordingly. This issues with the concurrence of Accounts Directorate of Ministry of Railways.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

भारत सरकार(GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

सं.2017/टीजी-V/23/1 नई दिल्ली, दिनांक 04.07.2017

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

प्रबंध निदेशक
क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

विषय: अतिरिक्त किराया टिकटों (ईएफटी) पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को वसूल करना.

कृपया 30.06.2017 के समसंख्यक पत्र (2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.46) का अवलोकन करें जिसमें अतिरिक्त किराया टिकटों पर माल एवं सेवा कर की वसूली के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे। ईएफटी जारी करने के मामले में ऑनबोर्ड टिकट चैकिंग स्टाफ द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ब्यौरों के बारे में क्षेत्रीय रेलों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं। इस मामले की लेखा निदेशालय के परामर्श से जांच की गई है और इस संबंध में निम्नानुसार सूचित किया जाता है:-

क. ईएफटी को जारी किए जाने की स्थिति में टिकट जांच करने वाले कर्मचारी को जी2सी ग्राहकों के मामले को मौजूदा ईएफटी में पहले से प्राप्त किए जा रहे ब्यौरों के अतिरिक्त निम्नलिखित दर्ज करना होगा:-

(i) ईएफटी में उस स्टेशन के राज्य के जीएसटीआईएन का उल्लेख किया जाएगा 'जहाँ से ईएफटी' बनाई जाती है;

(ii) यात्री का नाम

(iii) वसूल की गई जीएसटी की राशि अर्थात् 5% की दर से;

ख. यदि कोई पैसेंजर यह अनुरोध करता है कि ईएफटी में उसका जीएसटीआईएन नम्बर दिया जाए तो केवल ऐसे मामलों में ही यात्री के नाम और पते के साथ उसका जीएसटीआईएन नम्बर दिया जाना चाहिए।

2. सभी मैनुअल ट्रांजेक्शन दर्ज करने के लिए क्रिस ने एक यूटिलिटी को डिवेलप किया है, जिसमें सभी संगत सूचना समुचित रूप से भरी जानी अपेक्षित है ताकि सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/आईजीएसटी, जैसा भी मामला हो, प्राप्त किया जा सके।

3. तदनुसार, सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं। इसे रेल मंत्रालय के लेखा निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड